भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2814**
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय**: **मध्य प्रदेश में पीएम-किसान योजना**
**2814. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) मध्य प्रदेश विशेषकर रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी किसानों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का ध्यान उक्त जनजाति-बहुल जिलों में बड़ी संख्या में पात्र किसानों के आवेदनों की ओर दिलाया गया है जो विभिन्न तकनीकी कारणों (जैसे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी या भूमि अभिलेख मिलान में त्रुटियां) के कारण लंबित हैं;
(ग) यदि हां, तो उक्त जिलों में और राज्य में वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं;
(घ) सरकार द्वारा उक्त तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार इन दूर-दराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष सुधार शिविर आयोजित करने की योजना बना रही है ताकि उन्हें उक्त योजना का लाभ मिलता रहे?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)**

(क) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। मध्य प्रदेश में जिन लाभार्थियों को योजना की 21वीं किस्त जारी होने के दौरान लाभ मिला, उनका जिलेवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पीएम-किसान एक पात्रता आधारित योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सत्यापित डेटा के आधार पर लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात अनुमोदित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात, विभाग द्वारा लाभ की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाती है और उसे अगली किस्त में जारी किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले, निम्नलिखित को अनिवार्य कर दिया गया है:-

(i) योजना की 12वीं किस्त (अगस्त 2022 से आगे) जारी करने के दौरान लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी कृषि योग्य भूमि का वास्तविक भूस्वामी है।

(ii) लाभों को बिना किसी त्रुटि के लाभार्थी के खाते में सीधे समय पर अंतरित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ वास्तविक लाभार्थी को ही मिले, 13वीं किस्त (दिसंबर 2022 से आगे) से आधार-आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था।

(iii) लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और यह पुष्टि करने के लिए कि जिस पात्र लाभार्थी का आधार अपलोड किया गया है, वह योजना के लाभों का वास्तविक प्राप्तकर्ता है, ई-केवाईसी को 15वीं किस्त (अगस्त 2023 से आगे) से अनिवार्य कर दिया गया था।

हालांकि, सभी पात्र लाभार्थियों के लिए इन अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है, फिर भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पीएम-किसान लाभार्थियों द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं:

- कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के सहयोग से ई-केवाईसी व्यापक अभियान चलाए गए। पंजीकरण को सुगम बनाने और ई-केवाईसी सहित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) को शामिल किया गया है।
- जून 2023 में पीएम-किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी सुविधा जोड़ी गई, जिससे लाभार्थियों को घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी पूर्ण करने के साथ-साथ 100 अन्य किसानों के लिए भी ई-केवाईसी करने की सुविधा मिली। इस सुविधा से विशेष रूप से बुजुर्ग लाभार्थियों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी पूर्ण करने में सहायता मिली है।
- इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे कि लैंड सीडिंग, आधार से जुड़े बैंक खाते और ईकेवाईसी, को पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी की गई हैं, जैसे सीएससी, आईपीपीबी और बैंकों के समन्वय से किया गया।
- किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा ग्राम नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और लगभग 1 लाख ग्राम नोडल अधिकारियों को 4 लाख से अधिक गांवों में नामित किया गया है ताकि किसानों को उनकी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। वे किसानों की भूमि के विवरण का सत्यापन कर सकते हैं और किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा एक वॉयस आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान-ई-मित्र) विकसित किया गया है। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों के त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। किसान ई-मित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं—अंग्रेजी, हिंदी, ओड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में उपलब्ध है। यह चैटबॉट किसानों को उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जानकारी भी प्रदान करता है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, नवंबर 2025 में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने के दौरान, 9.35 करोड़ लाभार्थियों को, जिन्होंने अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, लाभ प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, योजना का दायरा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रह जाए, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों के समन्वय से सघन (सेचुरेशन) अभियान चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के अंतर्गत 15 नवंबर 2023 से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सघन (सेचुरेशन) अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पीएम-किसान योजना में 1 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, पीएम-किसान योजना में 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को जोड़ा गया। साथ ही, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों का निपटान करने के लिए सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस योजना से 30 लाख से अधिक नए किसान जुड़े।

मध्य प्रदेश राज्य और रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में ऐसे किसानों की संख्या, जिनकी लैंड सीडिंग, आधार से जुड़े बैंक खाते और ई-केवाईसी अभी भी लंबित है, निम्नानुसार है:-

| **राज्य/जिले का नाम** | ऐसे किसानों, जिनकी भूमि सीडिंग लंबित है, की संख्या | ऐसे किसानों की संख्या जिनकी ईकेवाईसी लंबित है | ऐसे किसानों की संख्या जो आधार से जुड़े बैंक खातों के लिए लंबित है |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 5,828 | 80,845 | 1,58,484 |
| रतलाम | 26 | 2,533 | 3,111 |
| झाबुआ | 125 | 895 | 1,613 |
| अलीराजपुर | 34 | 671 | 1,446 |

जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे, योजना के तहत उनके लाभ पुनः प्रारंभ हो जाएंगे।

**अनुबंध।**

पीएम-किसान योजना की **21**वीं किस्त जारी होने के समय (05/03/2026 की स्थिति के अनुसार) मध्य प्रदेश में जिलेवार लाभार्थियों की संख्या

| क्रम सं. | जिले का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आगर-मालवा | 93,626 |
| 2 | अलीराजपुर | 82,738 |
| 3 | अनूपपुर | 81,962 |
| 4 | अशोकनगर | 1,28,988 |
| 5 | बालाघाट | 3,14,588 |
| 6 | बड़वानी | 1,25,144 |
| 7 | बेतुल | 2,34,711 |
| 8 | भिंड | 1,85,419 |
| 9 | भोपाल | 55,134 |
| 10 | बुरहानपुर | 46,789 |
| 11 | छतरपुर | 2,47,227 |
| 12 | छिंदवाड़ा | 2,11,429 |
| 13 | दामोह | 1,73,316 |
| 14 | दतिया | 1,30,284 |
| 15 | देवास | 1,57,700 |
| 16 | धार | 2,19,197 |
| 17 | डिण्डोरी | 1,17,590 |
| 18 | गुना | 1,67,008 |
| 19 | ग्वालियर | 1,12,258 |
| 20 | हरदा | 59,212 |
| 21 | इंदौर | 73,923 |
| 22 | जबलपुर | 1,41,147 |
| 23 | झाबुआ | 1,24,124 |
| 24 | कटनी | 1,54,530 |
| 25 | खंडवा (पूर्वी निमाड़) | 1,40,806 |
| 26 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | 1,85,269 |
| 27 | मैहर | 69,270 |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | मंडला | 1,39,697 |
| 29 | मन्दसौर | 2,01,099 |
| 30 | मऊगंज | 65,856 |
| 31 | मुरैना | 2,23,892 |
| 32 | नर्मदापुरम | 1,30,532 |
| 33 | नरसिंहपुर | 1,38,997 |
| 34 | नीमच | 99,663 |
| 35 | निवाड़ी | 60,997 |
| 36 | पंधुरना | 43,717 |
| 37 | पन्ना | 1,51,841 |
| 38 | रायसेन | 1,56,963 |
| 39 | राजगढ़ | 2,34,975 |
| 40 | रतलाम | 1,59,009 |
| 41 | रीवा | 1,70,686 |
| 42 | सागर | 2,87,941 |
| 43 | सतना | 1,43,924 |
| 44 | सीहोर | 1,62,548 |
| 45 | सिवनी | 2,37,446 |
| 46 | शहडोल | 1,11,308 |
| 47 | शाजपुर | 1,38,198 |
| 48 | श्योपुर | 90,840 |
| 49 | शिवपुरी | 2,72,257 |
| 50 | सीधी | 1,29,404 |
| 51 | सिंगरौली | 1,33,810 |
| 52 | टीकमगढ़ | 1,61,346 |
| 53 | उज्जैन | 1,98,280 |
| 54 | उमरिया | 85,053 |
| 55 | विदिशा | 2,18,083 |
| | **कुल** | **81,81,751** |

*****